रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2013/आश्विन 5, 1935
No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2013/ASVINA 5, 1935

LegalCrystal

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितंबर, 2013

सा.का.नि. 661(अ) .— केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 है ।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1967(1967 का 37) अभिप्रेत है ;

(ख) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है ;

(ग) "अंकित मूल्य" से अभिगृहीत कूटकृत नोटों पर मुद्रित मूल्य की गणितीय संगणना अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) वे शब्द और पद जो यहां प्रयुक्त है और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में दिए गए है ।

3. **उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय कागज करेंसी का न्यायालयीय अवधारण** — कोई अन्वेषण अधिकारी, धारा 16 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (iii) के उपबंधों को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक वह अभिगृहीत करेंसी की बाबत प्राधिकृत न्यायालय प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभिप्राप्त नहीं कर लेता है ।

4. **न्यायालयीय प्राधिकारी की अधिसूचना**— धारा 15 के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित प्राधिकृत या अधिसूचित न्यायालयीय प्राधिकारी होंगे, अर्थात् : —

(क) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड या सेक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन प्रयोगशालाएं ;

(ख) भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन न्यायालयीय प्रयोगशालाएं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार अधिसूचित कोई अन्य स्थापन जिसके पास आवश्यक सुविधाएं और प्रशिक्षित कार्मिक हों ।

5. भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान —उच्च क्वालिटी के कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या तस्करी या परिचालन के तरीके से धारा 15 में निर्दिष्ट भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान के लिए यदि अन्य प्रतिफलों के अतिरिक्त है, कारित हुई समझी जाएगी ।

(क) ऐसी अवसीमा तक रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकें, एक लाख रूपए से अन्यून के अंकित मूल्य के उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी का अभिग्रहण :

परंतु उक्त अवसीमा तब लागू नहीं होगी जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या आप्रवासन जांच चौकी पर कूटकृत भारतीय करेंसी को रोका जाता है ।

(ख) अभिगृहीत कूटकृत करेंसी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और ऐसे समय के बिंदु पर परिचालन में तीन उच्चतम अंकित मूल्य में से कोई एक सम्मिलित है ।

6. धारा 16 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (iii)क) के उपबंधों को लागू करने के लिए प्रक्रिया. — (1) जब कोई मामला उस करेंसी के अभिग्रहण पर रजिस्टर किया गया हो तो जिसका उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी होने के लिए संदेह किया जा रहा हो, वहां अन्वेषण अधिकारी अभिगृहीत करेंसी या उसके नमूने को तुरंत प्राधिकृत या अधिसूचित न्यायालयीय प्राधिकारी को भेजेगा और उक्त प्राधिकारी ऐसे नमूने की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर कि क्या अभिगृहीत करेंसी "उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी" है, के बारे में प्रारंभिक रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ।

(2) अन्वेषण अधिकारी तीव्रतम साधनों द्वारा अभिगृहीत करेंसी अभिग्रहण के अड़तालीस घंटे के अपश्चात् अधिसूचित न्यायालयीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा और अधिसूचित न्यायालयीय प्राधिकारी ई-मेल या फेरीमाइल सहित शीघ्रतम संभव साधनों द्वारा अधिग्रहण अधिकारी को परीक्षा के परिणाम सांसूचित करेगा :

परंतु आरंभिक रिपोर्ट में न्यायालयीय रिपोर्ट के ब्यौरे अंतर्विष्ट नहीं हो सकेंगे किंतु यह इस प्रश्न पर स्वयं को निर्बन्धित करेगा कि क्या अधिनियम की तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मुख्य सुरक्षा की विशेषताओं की अभिगृहीत कूटकृत करेंसी में नकल की गई है या संकट में डाला गया है और अभियोजन के प्रयोजनों के लिए, संपूर्ण रिपोर्ट को अन्वेषण के पूरा होने से पूर्व प्रदान किया जाएगा :

परंतु यह और कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण का जारी होने होना बाधित नहीं करेंगी ।

(3) सकारात्मक आरंभिक न्यायालयीय रिपोर्ट की प्राप्ति पर, अन्वेषण अधिकारी उसे अभिग्रहण के तथ्यों पर रिपोर्ट के साथ संबद्ध पुलिस अधीक्षक या समतुल्य या उससे ऊपर की पंक्ति के किसी ऐसे अन्य अधिकारी को पारेषित करेगा और यदि ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि यह कार्य भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करने की कोटि में आता है तो वह धारा 16 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखंड (iii) के उपबंधों को लागू करने के लिए आदेश दे सकेगा ।

(4) यह अवधारण करते समय कि क्या कार्य भारत की आर्थिक स्थिरता की क्षति करने या क्षति पहुंचाने की प्रयत्न करने की कोटि में आता है, उपनियम (3) के अधीन पुलिस अधीक्षक या सशक्त ऐसा अधिकारी नियम 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से एक या अधिक को भी हिसाब में लेगा अर्थात् :—

(क) क्या अभियुक्त कूटकृत करेंसी के मामले में पहले अंतर्ग्रस्त था ;

(ख) क्या अभियुक्त किसी आतंकवादी गैंग या आतंकवादी संगठन से संबंधित है ;

(ग) क्या उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी की वसूली तत्समय प्रवृत्त किन्हीं विधियों के अधीन प्रतिषिद्ध शस्त्र, गोला-बारूद या विस्फोटकों की वसूली से सहबद्ध है ;

(घ) क्या उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय जांच चौकियों या सीमाओं के माध्यम से तस्करी के समय वसूल किया गया है ;

(ङ) क्या यह प्रथम दृष्टया उपदर्शन है कि उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी को विदेश में निर्मित किया गया है ;

(च) क्या उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी विदेश, अस्तित्व, अभिकरण या विदेश में स्थित व्यक्ति के अनुरोध पर निर्मित या तस्करी की जा रही है या उसे परिचालित किया जा रहा है ;

(छ) क्या उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी की तस्करी करने या उसका परिवहन करने और अपराध के आगमों का संग्रहण करने या चलाने के लिए जटिल पद्धतियों का प्रयोग किया गया है ;

(ज) क्या उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी को करेंसी तिजोरी स्वतः गणक मशीन में वास्तविक करेंसी के साथ मिश्रित किया गया है ;

(झ) क्या अभिगृहीत उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी का अंकित मूल्य अत्यधिक उच्च है या सृजित होने के लिए अपराध के आगम अत्यंत विशाल है ;

(ञ) कोई अन्य परिस्थिति जो यह प्रकट करती है कि का उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी का निर्माण तस्करी या परिचालन देश में आर्थिक स्थिरता को जोखिम में डालने के उद्देश्य से किया गया था ।

(5) उपनियम (3) और उपनियम (4) के प्रयोजनों के लिए, सशक्त अधिकारी अन्वेषण का आदेश करते समय उनके कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(6) धारा 45 के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकारी अभियोजन के लिए अनुमोदन के अनुरोध का व्ययन करते समय उपनियम (3) के अधीन आदेश पर विचार करेगा ।

(7) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित पुलिस महानिरीक्षक और राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षक, दिल्ली और कोलकाता के पुलिस आयुक्त, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक और महानिरीक्षक या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी नियम 7 में यथा रूप से स्पष्ट की गई विशेष परिस्थितियों के अधीन, धारा 16 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (iiiक) के अधीन अन्वेषण का आदेश कर सकेगा ।

7. **विशेष मामलों में अन्वेषण.**- (1) जब उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी होने के लिए शंकित करेंसी के अभिग्रहण पर कोई मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, जो नियम 5 में अधिकथित शर्तों के अनुरूप नहीं है किंतु अन्वेषण अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति के ऐसे अन्य अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हो कि विशेष कारण उपस्थित है कि अपराध में भारत की आर्थिक स्थिरता की नुकसान या नुकसान करने का प्रयत्न अंतर्ग्रस्त है, ऐसे समाधान पर ऐसा पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति का अन्य अधिकारी अपनी सिफारिशों के साथ उसकी रिपोर्ट नियम 6 के उपनियम (7) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजेगा, जिसका प्रथमदृष्टया समाधान हो जाने पर नियम 6 के उपनियम (1) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालयीय परीक्षा के लिए अभिगृहीत कूटकृत भेजे जाने के लिए कारित करेगा ।

(2) सकारात्मक न्यायालयीय रिपोर्ट के अभिप्राप्त होने पर और मामले की विशेष परिस्थितियों पर विश्वास हो जाने में नियम 6 के उपनियम (7) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी धारा 16 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (iii क) के अधीन अन्वेषण का आदेश करने के लिए उसके कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अग्रसर हो सकेगा ।

8. **सुरक्षा की विशेषताओं का पुनर्विलोकन.**- भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड और सेक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उस अवधि के दौरान उनके द्वारा विश्लेषित कूटकृत करेंसी के पुनर्विलोकन का वार्षिक संचालन करेंगे और तीसरी अनुसूची में पुनरीक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

[फा.सं.17012/197/ 2012-सीएफटी]
आर.एस.बोरा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi , the 19th September , 2013

G.S.R. 661 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Offences Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37of 1967);

(b) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(c) "Face value" means the arithmetic computation of value printed on the seized counterfeit notes;

(d) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. ***Forensic determination of high quality counterfeit Indian paper currency.*** — No Investigating Officer shall apply the provisions of sub-clause (iiia) of clause (a) of sub-section (1) of section 15 read with section 16 unless he obtains a report of the authorised forensic laboratory in respect of the seized currency.

4. **Notification of Forensic Authority.** — For the purposes of section 15, the following shall be authorised or notified forensic authorities, namely: —

(a) Laboratories under the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited or Security Printing and Minting Corporation of India Limited ;

(b) Forensic Laboratories under the Government of India and the State Governments;

(c) any other establishment having necessary facilities and trained personnel so notified by the Central Government from time to time.

5. **Damage to the monetary stability of India.** — Damage to the monetary stability of India, referred to in section 15 by way of production or smuggling or circulation of high quality counterfeit Indian paper currency, shall be *deemed to have been caused, if in addition to other considerations,-*

(a) seizure is of high quality counterfeit Indian currency of face value of such threshold amount as may be decided by the Central Government from time to time, not being less than rupees one lakh:

Provided that the said threshold limit shall not apply when the counterfeit Indian currency has been intercepted at the international border, international airport or Immigration Check Post;

(b) the seized counterfeit currency includes any one of the three highest denominations issued by the Reserve Bank of India, and in circulation at such point in time.

6. **Procedure for applying the provisions of sub-clause (iiia) of clause (a) of sub-section (1) of section 15 read with section 16** .- (1) When a case has been registered upon seizure of currency suspected to be high quality counterfeit Indian currency, the Investigating Officer shall forthwith send the seized currency or sample thereof to the authorised or notified forensic authority and the said authority shall forward a preliminary report, as to whether the seized currency is "high quality counterfeit Indian currency" within fifteen days of receipt of such samples.

(2) The Investigating Officer shall forward the seized currency by the quickest means to the notified forensic authority, not later than forty-eight hours of the seizure, and the notified forensic authority shall communicate the results of the examination to the requisitioning officer by the quickest possible means including e-mail or facsimile:

Provided that the preliminary report may not contain a detailed forensic report, but may restrict itself to the question of whether the key security features as specified in the Third Schedule to the Act have been imitated or compromised in the seized counterfeit currency and the complete report for the purposes of prosecution shall be provided before completion of the investigation:

Provided further that the procedure referred to in sub-rule (1), shall not preclude the continuation of investigation under any other law for the time being in force,

(3) On receipt of a positive preliminary forensic report, the Investigating Officer shall transmit the same along with a report on the facts of the seizure to the concerned Superintendent of Police or such other officer of equivalent or above rank, and if such officer is satisfied that the act amounts to an attempt to damage the monetary stability of India, he may order applying of the provisions of sub-clause (iiia) of clause (a) of sub-section (1) of section 15 read with section 16.

(4) While determining whether the act amounts to damage or an attempt to damage the monetary stability of India, the Superintendent of Police or such officer empowered under sub-rule (4) shall, in addition to the conditions specified in rule 5, shall also take into account any one or more of the following, namely: —

(a) whether the accused was previously involved in a case of counterfeit currency;

(b) whether the accused belongs to a terrorist gang or terrorist organisation;

(c) whether the recovery of high quality counterfeit Indian currency is associated with recovery of arms, ammunition, or explosives prohibited under laws for the time being in force;

(d) whether the high quality counterfeit Indian currency has been recovered while smuggling through international check posts or borders;

(e) whether there is prima facie indication that the high quality counterfeit Indian currency has been produced in a foreign country;

(f) whether the high quality counterfeit Indian currency is being produced, smuggled or circulated at the instance of a foreign country, entity, agency, or person situated abroad;

(g) whether complex methods have been used to smuggle or transport high quality counterfeit Indian currency, and to collect or move the proceeds of crime;

(h) whether the high quality counterfeit Indian currency is mixed with genuine currency in currency chests, Automated Teller Machines;

(i) whether the face value of high quality counterfeit Indian currency seized is extremely high, or the proceeds of crime to be generated are extremely large;

(j) any other circumstance that reveals that the production, smuggling or circulation of high quality counterfeit Indian currency was undertaken with the object of threatening the monetary stability of the country.

(5) For the purposes of sub-rule (3) and sub-rule (4), the empowered officer shall while ordering investigation record the reasons thereof in writing.

(6) The Authority appointed under section 45 shall take into consideration the consideration order under sub-rule (3), while disposing of the request of sanction for prosecution.

(7) Notwithstanding anything contained in these rules, an officer not below the rank of Inspector General of Police specifically designated by the Director General and Inspector General of Police of States or Union territories, Commissioner of Police of Delhi and Kolkata, Director and Inspector General of Delhi Special Police Establishment or Director General of the National Investigation Agency may order investigation under sub-clause (iiia) of clause (a) of sub-section (1) of section 15 read with section 16 under special circumstances as explained in rule 7.

7. **Investigation in special cases.**- (1) When any case is registered upon seizure of currency suspected to be of high quality counterfeit Indian currency, which does not conform to the conditions laid down in rule 5, but the Investigating Officer submits a report to the concerned Superintendent of Police, or such other officer of equivalent rank, that there exist special reasons that the offence involves damage or an attempt to damage the monetary stability of India, upon satisfaction, such Superintendent of Police or other officer of equivalent rank shall send the report thereof with his recommendations to the authorised officer under sub- rule (7) of rule 6, who on being *prima facie* satisfied, shall cause the seized counterfeit currency to be sent for forensic examination, as per the proceedure laid down in sub rule (1) of rule 6.

(2) On obtaining a positive forensic report, and on being convinced from the special circumstances of the case, the authorised officer under sub rule (7) of rule 6 may proceed after recording the reasons thereof to order investigation under sub-clause (iiia) of clause (a) of sub-section (1) of section 15 read with section 16.

8. **Review of security features**.- The Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited, and Security Printing and Minting Corporation of India Limited, shall annually conduct a review of the counterfeit currency analysed by them during the period, and submit a report to Reserve Bank of India for recommending to the Central Government, revisions to the Third Schedule.

[F. No. 17012/197/2012-CFT]

R.S.BORA, Under Secy.

4152 GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935
No. 604] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसंबर, 2013

सा.का.नि.780(अ).— केंद्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 के नियम 6 में,-

(i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(ii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

[फा.सं. 17012/197/2012/सीएफटी]

आर.एस.बोरा, अवर सचिव

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 27 सितंबर, 2013 में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2013

G.S.R. 780(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Offences Rules, 2013, namely:-

1(1) These rules may be called the Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Offences (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Offences Rules, 2013, in rule 6,-

(i) in sub-rule (4), in the opening portion, for the words, brackets and figure "sub-rule (4)", the words, brackets and figure "sub-rule (3)" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (6), for the words "shall take into consideration, the consideration order", the words "shall take into consideration the order" shall be substituted.

[F.No. 17012/197/2012/CFT]

R.S. BORA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 27th September, 2013.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.